# संचालनालय पशुपालन
## कामधेनू भवन वैशालीनगर भोपाल

क्रमांक 2832/स्था–ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018–19/ भोपाल, दिनांक : 6/3/2019

//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित उम्मीदवारों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2107 के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट–1 के लेवल 6 के प्रारम्भिक वेतन रूपये 25300/–( छटवां वेतनमान वेतन बैंड रू. 5200–20200+2400 ग्रेड पे ) में अस्थाई रूप से 2वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कालम (6) में उल्लेखित स्थान पर निम्न सेवा शर्तो के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

| क्र. | आवेदक का नाम | पिता/पति का नाम | वर्ग | गृहजिला | पदस्थापना स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मनीष कुमार प्रजापति | पुरूषोत्तम कुमार | अनारक्षित | टीकमगढ़ | पशु औषधालय गुफाभासेर जिला विदिशा |
| 2. | मोनिका कारपेंटर | बंशीलाल कारपेंटर | अन्य पि. वर्ग | आगरमालवा | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जिला सीहोर |
| 3. | पूजा पिप्पल | कुम्हेर सिंह पिप्पल | अनुसूचित जाति | मुरैना | पशु औषधालय ढोडर जिला श्योपुर |
| 4. | पुनित प्रभारी | पन्नालाल प्रभारी | अनुसूचित जाति | खण्डवा | मुख्य ग्राम इकाई जताखेडा जिला सीहोर |
| 5. | मनीष कुमार मण्डलोई | भागीरथ मण्डलोई | अनु. जन जाति | बडवानी | पशु औषधालय सुन्दरदेव जिला खण्डवा |
| 6. | इन्दर सिंह मसानिया | अक्रम मसानिया | अनु. जन जाति | झाबुआ | पशु चिकित्सालय सीतामउ जिला मन्दसौर |
| 7. | अंकित चौहान | रमेश चौहान | अनु. जन जाति | झाबुआ | पशु चिकित्सालय गंधवानी जिला धार |
| 8. | रोशनी खन्ना | देवी सिंह खन्ना | अनु. जन जाति | बडवानी | पशु चिकित्सालय लोनारा जिला खरगोन |
| 9. | धीरे सिंह बुन्देला | सुखलाल बुंदेला | अनु. जन जाति | धार | पशु चिकित्सालय जावद जिला नीमच |
| 10. | नाहर सिंह जमरा | नाथु जमरा | अनु. जन जाति | अलीराजपुर | पशु औषधालय तिरला छडावद जिला धार |
| 11. | प्रकाश खराडी | नरसिंह खराडी | अनु. जन जाति | रतलाम | पशु चिकित्सालय साठखेडा जिला मन्दसौर |

### सेवा शर्ते

1. आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशुं चिकित्सा सेवाऐं को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

2. नियुक्त किये गये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिलें के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।

3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/4 दिनांक 13/4/2005 एवं प्रमुख सचिव वित्त का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ–9/3/03/नियम /4दिनांक 2.7.2005 के अनुसार राज्यशासन के अधीन 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना है, का पालन किया जाय।

4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थाई एवं अर्द्ध स्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह का वेतन भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।

5. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–सी 3–15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है।, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।

6. संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं की ओर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के प्रमाण–पत्रों की पुष्टि कर इस कार्यालय को सूचित करें।

7. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण संबंधी आदेशों में उल्लेखित नियमों का पालन किया गया है।

8 परिवीक्षा अवधि में सतोषजनक कार्य सम्पादन करने पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान में रूपये 25300–80500 नियमानुसार नियमित किया जावेगा ।

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता पी.ई.बी.द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित एवं संचालनालय को उपलब्ध कराई गई सूची में प्राप्त अंको के आधार पर निर्धारित होगी।

5/03/19

(डॉ.आर.के.रोकड़े)
संचालक,
पशुपालन मध्यप्रदेश
भोपाल

पृ.कमांक 2833 /स्था–ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018–19/ भोपाल, दिनांक : 6/3/ 2019

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्री पशुपालन मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संबंधित कलेक्टर जिला म.प्र.
4. संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तांकित सेवा शर्तो के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपने जिलें के जिला कोषालय अधिकारी एवं संचालक कोष एवं लेखा को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजते हुए संचालनालय को अवगत कराये।
5. उप संचालक स्थापना ब संचालनालय भोपाल।
6. अधीक्षक स्थापना ब संचालनालय
7. श्री /सुश्री ................................................................................................................................................................................

संचालक,
पशुपालन मध्यप्रदेश
भोपाल